—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

// आदेश //

क्रमांक 133 / एक–11–1 / 11 उज्जैन, दिनांक 11 सितम्बर, 2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक **सी / 5900 दिनांक 03.09.2025** के आलोक में Water (Prevention an Control of Pollution) Act 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, the Environment Protection Act, the Indian Forest Act and the Wild Life Act से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय व तहसील स्तर पर निम्नानुसार वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामांकित किया जाता है :–

क्र.	मुख्यालय / तहसील	न्यायिक अधिकारी का नाम
1	जिला मुख्यालय	श्री अश्विन परमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन
2	खाचरौद	श्रीमती शैफाली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरौद
3	नागदा	श्री मनीष पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागदा
4	बड़नगर	श्री गौरव चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़नगर
5	तराना	श्री शिरीष शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना
6	महिदपुर	सुश्री चेतना दशोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महिदपुर

नोट : उल्लेखित अधिनियम के तहत् यदि किसी न्यायालय में प्रकरण लंबित हो तो उन प्रकरणों को तत्काल अधिसूचित न्यायालय को प्रेषित करें।

11.9.25

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

8774-8782

पृ.क्रमांक ..... / एक–11–1 / 11 उज्जैन, दिनांक 12 SEP 2025 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग अनुविभाग उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ।
2. श्री अश्विन परमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती शैफाली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरौद
4. श्री मनीष पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागदा
5. श्री गौरव चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़नगर
6. श्री शिरीष शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना
7. सुश्री चेतना दशोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महिदपुर
   की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
8. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन
9. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ।

11.9.25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

No. [illegible]/III-6-6/90 Jabalpur, dated [illegible]/09/2025

To,

The Principal District and Sessions Judges,
All in the State.

Sub: Regarding implementation of the recommendations contained in the "Advisory to Prevent, Minimise and Mitigate Impacts of Environment Pollution and Degradation of Human Rights" issued on 09.05.2022 from the National Human Rights Commission, New Delhi.

Ref:- Registry memo nos. C/1743 dated 04.05.2016 & B/4773 dated 18.09.2019.

As directed, on the subject mentioned above and in supersession of above mentioned Registry memo's, I wish to request you to specify/designate One Court each of Senior Most Judicial Magistrate First Class/Well Experience Judicial Magistrate First Class at District Headquarter and each of the Out-lying Stations in the District to deal with the matters relating to Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment Protection Act, the Indian Forest Act and the Wild Life Act.

I would also like to request you to direct the above Specified Courts to dispose of the cases of above Acts on priority basis.

MUKESH RAWAT
REGISTRAR District Establishment